



दैनिक जागरण

समूचे उत्तर भारत में प्रदूषण से आफत में जान

बदतर हालात ▶ दिल्ली समेत विभिन्न शहरों में दमघोंटू हुई आबोहवा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने संभाला मोर्चा

हरियाणा के जींद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 के पार, दिल्ली में 500

जेएनएन, नई दिल्ली

शनिवार शाम और रविवार सुबह हुई बूंदबांवी दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए आफत बनकर टूटी। दिल्ली में हुई बारिश से हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई। इससे प्रदूषक कणों के हवा में ठहराव की क्षमता में भी इजाफा हो गया। नजीतन सड़कों पर दिनभर स्मॉग का कहर तो रहा ही घरों में भी लोगों का दम चुटने लगा। यही हाल हरियाणा का रहा। जींद जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1615 दर्ज किया गया। वहां हालात बदतर होते देख राज्य सरकार ने दिल्ली की तरह मंगलवार तक स्कूल बंद कर दिए हैं।

रविवार को हालात इतने बिगड़े कि केंद्र सरकार को भी दखल देना पड़ा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंजाब और हरियाणा को पराली जलाने वालों से सख्ती से पेश आने को कहा है। इसके येकथाम के लिए रविवार रात से ही और ज्यादा टीकों को मैदान में उतारने के निर्देश दिए गए। बैठक में दिल्ली से कहा गया कि धूल (डस्ट) प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी उपायों

केंद्र ने कहा, पंजाब व हरियाणा रोके पराली जलाना, दिल्ली धूल पर नियंत्रण रखे

केंद्र ने तैनात की 300 टीमें, कैबिनेट सचिव रोज करेगे समीक्षा बैठक

दिल्ली एयरपोर्ट से 32 उड़ानें डायवर्ट, रेल-सड़क यातायात प्रभावित

शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स	
फरीदाबाद	496
नोएडा	495
गाजियाबाद	491
गुरुग्राम	486
मानेसर	486
ग्रेटर नोएडा	482
बहादुरगढ़	474

को अपनाए। निर्माण कार्यों को पूरा तरह से बंद करे और उद्योगों से निकलने वाले कचरे पर भी निगरानी रखे। दिल्ली के मुख्य सचिव से उच्च अधिकारियों की अगुवाई में 300 विशेष टीमें गठित करने को कहा गया है।

पंजाब और हरियाणा से नाखुश : पीएमओ के मुख्य सचिव पीके मिश्रा ने रविवार शाम को



दिल्ली-एनसीआर में धुंध व धुएं से हालात बदतर हो गए हैं। यह तस्वीर राजघाट के पास की है, जहां मुंह पर कपड़ा और मास्क लगाए बिना चलना भी दूसरों है। जागरण

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। लगभग आधे घंटे तक चली बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा भी मौजूद थे। बैठक में पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने के बड़े मामलों को लेकर पूछताछ की गई। उन जिलों का ब्योरा भी दिया

गया, जहां पराली जलने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इन राज्यों की ओर से केंद्र को आश्वासन दिया जाता रहा कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इस मुद्दे पर पीएमओ ने दोनों ही राज्यों से अपनी नाराजगी जताई।

बारिश से हवा में नमी बढ़ी : पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन वायु गुणवत्ता निगरानी

यमराज बना वायु प्रदूषण

42 लाख लोगों की बाहरी और 38 लाख की इंडोर वायु प्रदूषण से हर साल दुनिया में मौत हो जाती है

91 फीसद आवादी दुनिया में ऐसी है जो वायु गुणवत्ता के मानकों से अधिक स्तर वाले क्षेत्रों में रहती है

24 फीसद हिस्सेदारी है जहरीली हवा और प्रदूषण की स्ट्रोक (आघात) से होने वाली मौतों में

14 लाख लोग दुनिया में वायु प्रदूषण के चलते हृदय रोगों से हर साल दम तोड़ देते हैं

43 फीसद फेफड़े के रोग व कैंसर वायु प्रदूषण से होते हैं, इससे 18 लाख लोग दम तोड़ देते हैं

40 फीसद लोग दिल्ली-एनसीआर के जहरीली हवा के कारण यहां रहना नहीं चाहते हैं

रविवार को इसमें तेजी से इजाफा हुआ और यह 494 पहुंच गया। यह 6 नवंबर 2016 के बाद सर्वाधिक (496) है। रविवार सुबह दिल्ली जहरीली गैसों का एक बंद करारा बन गई। अच्छी बारिश प्रदूषण कम करती है, लेकिन राजधानी में शुक्रवार और शनिवार को सिर्फ बूंदें पड़ीं। इससे हवा एकदम ठहर गई।

आज से राहत की उम्मीद : दिल्ली राज्य मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो सोमवार से हवा की रफतार बढ़ेगी। ऐसे में प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी। दुश्चता में भी सुधार होगा। हालांकि सुबह कोहरा रहेगा। मंगलवार को भी हवा की गति अच्छी रहेगी। 7 और 8 नवंबर को बारिश होने की संभावना है।

पंजाब-हरियाणा को लिखी चिट्ठी : पराली जलाने की बड़ी घटनाओं को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा को एक चिट्ठी भी लिखी है। जिसमें दोनों ही राज्यों से पराली जलाने की घटनाओं के बढने को लेकर नाराजगी भी जताई गई है। इस दौरान दोनों ही राज्यों में पराली जलाने के मामलों का भी पूरा ब्योरा दिया गया है।

दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी पेज>>2 धुंध के कारण सड़क हादसे, नौ की मौत पेज>>5

दिल्ली में आज से ऑड-इवेन की व्यवस्था लागू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से ऑड-इवेन व्यवस्था एक बार फिर लागू हो जाएगी। 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसके लिए व्यापक तैयारियों की गई हैं। अतिरिक्त बसों के इंतजाम के साथ मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे।

योजना के तहत सम (इवेन) संख्या वाली तारीख 4, 6, 8, 12 और 14 नवंबर को सम रजिस्ट्रेशन नंबर (0, 2, 4, 6, 8) वाली गाड़ियां चलेंगी और विषम (ऑड) तारीख 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को विषम (1, 3, 5, 7 और 9) नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। दूसरे राज्यों वाले वाहनों पर भी ये नियम लागू होंगे और उल्लंघन करने पर 4,000 रुपये जुर्माना लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री योजना को सफल बनाने में जुटे हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने लोगों को कार पुलिंग का सुझाव दिया है। उनके मंत्री भी ऐसा करेंगे। दिल्ली में तीसरी बार यह व्यवस्था लागू होगी। इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में दो बार इसे लागू किया गया था। दावा है कि इससे 15 फीसद प्रदूषण कम हुआ था। (पेज-2 देखें)

सरोकार

विलियर बॉटल 'छोटू' पर छोड़िए पानी की शुद्धता

कानपुर : आप किसी बेहद पिछड़े गांव में हैं, जहां फिल्टर किया पानी मयस्सर नहीं है तो किन्नर न करें। टी-बैग नुमा विलियर बॉटल 'यानी छोट्टा पैकेट' है न। एक लीटर पानी में पैकेट घुमाते ही अशुद्धियां खत्म और आप बेफिक्र होकर प्यास बुझाएं। (पेज-10)

जागरण विशेष

पैरों से हुई लाचार तो इशरत ने होसले से भरी उड़ान

जम्मू : पांच लाचार हुए तो इशरत अख्तर होसले के पंखों से आसमान छूने के लिए परवाज भरने लगीं। आज जम्मू-कश्मीर की यह बेटी विश्व में नाम कमाने निकली है। राज्य की पहली पैरा ओलंपिक बास्केटबॉल खिलाड़ी इशरत अमले माह थाइलैंड में ही रही एशिया ओशीनिया प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन करने मैदान में उतरेगी। (पेज-11)

दिवालिया प्रक्रिया में घर खरीदारों को मिले अधिकार की होगी समीक्षा

नई दिल्ली : दिवालिया हो रही रियाल एस्टेट कंपनियों में उसके घर खरीदारों को वित्तीय कर्जदाता के बराबर हक देना पूरे रियाल सेक्टर की कांफ बनना जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार अब घर खरीदारों को मिले इस हक की समीक्षा करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसकी वजह यह है कि इस अधिकार का उपयोग करते हुए अब एक-एक घर खरीदार भी कंपनियों के खिलाफ दिवालिया याचिका लेकर पनसीएलटी पहुंचने लगे हैं। इस वजह से देशभर में दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही रियाल एस्टेट कंपनियों की संख्या 450 को पार कर गई है। (पेज-12)

कानूनी पेच

उत्तर प्रदेश के राजस्व रिकार्ड में नजूल यानी सरकारी जमीन के रूप में दर्ज है विवादित भूमि,

अयोध्या में नजूल की जमीन कहीं बदल न दे सीन

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि पर हिंदू मुस्लिम दोनों दावा कर रहे हैं। सुनवाई पूरी हो चुकी है अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है कि वह किस मालिक मानता है और किस नहीं। लेकिन जिस विवादित भूमि पर मालिकाना हक का दावा किया जा रहा है, राजस्व रिकार्ड में वह जमीन नजूल की दर्ज है यानी सरकारी जमीन है। जिस फैसले का पूरा देश इंतजार है कि जमीन सरकारी की है और सरकार जो चाहे कर सकता है। लेकिन ये मुकदमा इतना सामान्य नहीं है। यहां मामला आस्था और देश की अस्मिता से जुड़ा है। ऐसे में मुकदमे की प्रकृति और फैसले के परिणाम को देखते हुए भले ही राजस्व रिकार्ड में जमीन नजूल की दर्ज हो कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्ट विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए न्याय के हित में सरकार को जमीन के बारे में निर्देश दे सकता है। वह कहते हैं कि नियम के मुताबिक अगर किसी जमीन का मालिक न रहे तो वह जमीन सरकारी में निहित हो जाती है। इसे इस्वीट का सिद्धांत कहते हैं। यानी अगर जमीन किसी की नहीं रही तो



अयोध्या की पुकार

न्यायाधीश एसआर सिंह कहते हैं कि कानून के हिसाब से नजूल की जमीन सरकारी की होती है। अगर दोनों में से कोई भी पक्ष जमीन पर मालिकाना हक साबित नहीं कर पाता तो कोर्ट कह सकता है कि जमीन सरकारी की है और सरकार जो चाहे कर सकती है। लेकिन ये मुकदमा इतना सामान्य नहीं है। यहां मामला आस्था और देश की अस्मिता से जुड़ा है। ऐसे में मुकदमे की प्रकृति और फैसले के परिणाम को देखते हुए भले ही राजस्व रिकार्ड में जमीन नजूल की दर्ज हो कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्ट विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए न्याय के हित में सरकार को जमीन के बारे में निर्देश दे सकता है। वह कहते हैं कि नियम के मुताबिक अगर किसी जमीन का मालिक न रहे तो वह जमीन सरकारी में निहित हो जाती है। इसे इस्वीट का सिद्धांत कहते हैं। यानी अगर जमीन किसी की नहीं रही तो

सरकार में निहित हो जाएगी।

हाईकोर्ट ने प्लाट पर दिया था फैसला : विवादित ढांचे के नजूल प्लाट पर स्थित होने के बारे में हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी और फैसला भी दिया था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुकदमे में हाईकोर्ट ने जो विवादित बिंदु तय किये थे, उनमें एक सवाल विवादित ढांचे के नजूल प्लाट पर स्थित होने को लेकर था। इसमें कहा गया था कि क्या विवादित इमारत अयोध्या के रामकोट में नजूल प्लाट खसरा संख्या 583 पर स्थित है। (नजूल संपत्ति 2)। अगर ऐसा है तो उसका क्या प्रभाव होगा। इस पर तीनों जजों के विचार अलग थे।

जस्टिस एसयू खान ने कहा था चूंकि वहां स्थित इमारत 6 दिसंबर 1992 को ढकी गई इसलिए वह संपत्ति किस प्लाट पर थी यह चिन्हित करने या सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं रही।

जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने एक पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि वह इमारत रामकोट मोहल्ले में नजूल प्लाट खसरा नंबर 583 पर स्थिति थी, फिर भी इसका दोनों समुदायों के पक्षकारों के किये गए दावे पर

कोई असर नहीं पड़ेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादित संपत्ति पर कोई दावा नहीं किया है। जबकि जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने कहा था कि संपत्ति नजूल प्लाट संख्या 583 पर स्थित है और संपत्ति सरकारी की है।

अधिग्रहण कानून लागू होना संभव : जमीन के नजूल होने पर राम जन्मभूमि पुनरोद्धार समिति की वकील रंजना अग्निहोत्री कहती हैं कि अगर ऐसा होता है तो मुकदमा खत्म होने के बाद 1993 का अयोध्या अधिग्रहण कानून क्रियान्वित हो जाएगा। तब सरकार उस जमीन का जो चाहे कर सकती है। जबकि हिंदू महासभा के वकील हरिशंकर जैन कहते हैं कि जमीन के नजूल होने से रामलला के मुकदमे पर असर नहीं पड़ेगा। वह कहते हैं कि अगर 1861 में तत्कालीन सरकार ने जमीन नजूल घोषित कर दी तो भी रामलला का वहां परल्ले से कब्जा था। वहां भगवान राम का जन्म हुआ था वह पवित्र भूमि स्वयं देवता है। देवता का न बंटवारा हो सकता है न हटया जा सकता है।

राम की प्रतिमा संग शिवरू छुएंगी अयोध्या पेज>>7

आरसेप पर सौदेबाजी जारी, भारत भी अड़ा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सोमवार को आरसेप पर अंतिम फैसले की उम्मीद, लेकिन भारत अपने रुख पर डटा

चीन व अन्य देशों से सस्ते आयात पर लगाम को लेकर भारत आश्वस्त नहीं

भारत दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी कारोबारी समझौतों में एक आरसेप में शामिल होगा या नहीं, इससे सोमवार को पर्दा उठ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में बैंकोंक पहुंची उच्चस्तरीय टीम वहां रविवार को भी इस मसले पर हुई चर्चाओं में घरेलू हितों को रक्षा पर डटी रही। नवीनतम सूचनाओं के मुताबिक भारत अभी भी आशंका है कि इस कारोबारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उसका बाजार सस्ते उत्पादों से घट सकता है। यह एक बड़ी अड़चन के तौर पर चिन्हित हो रहा है। यही वजह है कि आसियान देशों के प्रमुखों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने अपने भाषण में आरसेप (रजनल कंसेंट्रेंसिव इकोनोमिक पार्टनरशिप) का जिक्र भी नहीं किया है।

आरसेप को लेकर एक हफ्ते से बैंकोंक में भी सभी सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच विमर्श का दौर चल रहा है। सुओं के मुताबिक अमेरिका के साथ ट्रेड वार में उलझा चीन हर क्रोम पर इस बार आरसेप पर अंतिम समझौते का दबाव बना रहा है। लेकिन भारत की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसका अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।

ऐसे में एक विकल्प यह भी बताया जा रहा है कि फिलहाल भारत के बगैर ही समझौते पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन कई दूसरे सदस्य इस विकल्प को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हैं। इनका कहना है कि भारत की अनुपस्थिति में चीन पूरी तरह से इस क्षेत्र पर हावी रहेगा। ऐसे में इंडोनेशिया, थाइलैंड जैसे देश भारत को मनाने की कोशिशों में जुटे हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान जैसे देश आरसेप को भारत के बगैर आगे बढ़ाने को तैयार हैं।

उधर, भारत के सबसे बड़े उद्योग चैंबर सीआइआइ के प्रेसिडेंट विक्रम किलोस्कर ने चीन की तरफ से आयात बढ़ने की आशंका को एक संभावित समस्या बताया है। लेकिन यह भी कहा है कि हमारा फैसला सिर्फ आयात के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि निवेश से जुड़ी संभावनाओं को भी केंद्र में रखना चाहिए। इस सवाल पर विचार होना चाहिए कि क्या लंबी अवधि में यह समझौता देश में निवेश

बढ़ाने में सहायक साबित होगा। यह दुनिया का सबसे मजबूत आर्थिक समझौता होगा और इन देशों में अगले 10-15 वर्षों में भारतीय कंपनियों के लिए काफी संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। वर्ष 2017 में आरसेप के सदस्य देशों में दुनिया की 47.6 फीसद आबादी थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 31.6 प्रतिशत हिस्से पर इन देशों का कब्जा था। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत आरसेप की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में एक अहम कड़ी के तौर पर स्थापित हो सकता है।

आरसेप आसियान के सदस्य देशों और छह अतिरिक्त देशों (भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड) का मुक्त व्यापार समझौता होगा। वर्ष 2012 में भारत ने इसमें शामिल होने की रजामंदी जताई थी। लेकिन चीन से बढते सस्ते आयात की वजह से भारत का रुख अब बदला हुआ है। साथ ही यह देश में एक सियासी रूप भी ले चुका है। कांग्रेस व वामपंथी दलों समेत आरएसएस के कुछ सहयोगी संगठन भी इसके खिलाफ हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार उल्टावें है। सोमवार को आरसेप को लेकर बैंकोंक में भी सभी 16 सदस्य देशों की सबसे अहम बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आसियान की मजबूती में भारत का हित

प्रियंका गांधी का भी मोबाइल हुआ हैक : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वाट्सएप जासूसी मामले में कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस ने रविवार को कहा, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा का भी मोबाइल हैक किया गया था। पार्टी ने पूछ, क्या मोदी सरकार ने 2019 के चुनाव से पहले आम लोगों और नेताओं की भी जासूसी कराई थी। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रियंका को भी वाट्सएप ने ठीक वैसा ही मैसेज भेजा था, जैसा (संदेश) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजा गया था। हालांकि, प्रियंका को भेजे मैसेज में फोन नंबर और मोबाइल फोन को टैप करवाया जा रहा है। जो को हैक कराने का आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने कहा, वाट्सएप ने सरकार को फोन हैक किए जाने की जानकारी इस साल अप्रैल और मई में ही दी थी। बावजूद इसके सरकार चुपची साधे रही। सितंबर में आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वाट्सएप और फेसबुक के

वाट्सएप जासूसी मामला

सुरजेवाला ने पूछ, क्या चुनाव से पहले सरकार ने कराई आम लोगों और नेताओं की जासूसी

कंपनी से फोन हैक किए जाने की जानकारी मिलने के बाद भी सरकार की चुपची पर उठाए सवाल



कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा (फाइल फोटो)। प्रे

कांग्रेस के नेतृत्व वाली संसदीय समितियां करेंगी जांच

कांग्रेस के नेतृत्व वाली संसदीय समितियों से इस मामले की जांच करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की स्थाई समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, 15 नवंबर की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और गृह सचिव से विस्तृत ब्योरा मांगा जाएगा। वहीं, दूरसंचार मंत्रालय की स्थाई समिति के अध्यक्ष शशि थरुन ने कहा, हमारे एजेंडे में साइबर सुरक्षा गंभीर मामला है और हम इस पर चर्चा करेंगे। सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। हमें किसी भी कीमत पर चीन जैसा राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, जो हर किसी पर नजर रखता है।

उपाध्यक्ष और सीईओ से मुलाकात भी की और उसमें भी इस मुद्दे पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। भाजपा को भारतीय जासूस पार्टी बताते हुए सुरजेवाला ने कहा, देश के विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं, पत्रकारों और प्रमुद्ध लोगों के मोबाइल फोन को टैप करवाया जा रहा है। जो निजता का पूरी तरह से हनन है। शनिवार को सोनिया गांधी के साथ पार्टी के महासचिवों की उच्च स्तरीय बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी। सरकार ने ही खरीदे स्पाइवेयर : सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार या उसकी एजेंसियों ने ही स्पाइवेयर पेमासख खरीदे थे, क्योंकि इजरायली

कंपनी नेसाफ कहा है कि वह सिर्फ सरकार या उसकी एजेंसियों को ही यह सॉफ्टवेयर बेचती है। उन्होंने सरकार से पांच सवाल भी पूछे हैं। क्या सरकार लोस चुनाव के समय भी जासूसी कर रही थी? सरकार में किसने स्पाइवेयर खरीदने की इजाजत दी थी? खरीद की अनुमति पीएम, गृह मंत्री या एनएसए किसने दी? जब सारी जानकारी थी, तो चुपची क्यों? लोगों की संपत्तियां सामने आने पर क्या कार्रवाई होगी? जासूसी कांड : सरकार और वाट्सएप आमने-सामने पेज>>3

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा का तंज

नई दिल्ली, आइएनएस : कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने तंज भरा जवाब दिया। भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, 'व्या हमने नहीं देखा है कि कांग्रेस उन चीजों की कल्पना करती है जिनका अस्तित्व ही नहीं होता। याद करिए जब चुनाव के दौरान अट्रैल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल पर केमेरे की ग्रीन लाइट पड़ गई थी तब कांग्रेस ने कहा था कि उनके नेता की जान खतरे में है। अच्छे, तो सार्वजनिक जीवन में उनके नेताओं की यही विश्वसनीयता है।'

हमारे पास 170 से ज्यादा विधायक : शिवसेना

राज्य ब्यूरो, मुंबई

शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए 170 से ज्यादा विधायकों का समर्थन होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यदि भाजपा सरकार बनाने में असमर्थ रही तो शिवसेना का मुख्यमंत्री ख. बालासाहब ठाकरे के समाधिस्थल शिवतीर्थ पर शपथ लेगा। राउत ने राकोंपा नेता अजीत पवार को मोबाइल से संदेश भेजकर संपर्क साधने की कोशिश भी की। शिवसेना के वरिष्ठ नेता राउत ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि सरकार बनने की राह में सबसे बड़ा रोकड़ा झूट बोलेना वाली लगे हैं, जो अपने किए गए वादे से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की चुपची को रहस्यमय कारा देते हुए संजय राउत ने कहा कि हरियाणा जैसे छोटे राज्य में शुरू हुई अड़चन के समय अमित शाह ने पहल करके जिस तरह हल निकाला, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में भी

शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राकोंपा नेता अजीत पवार को मोबाइल से संदेश भेज संपर्क साधने की कोशिश की

बोले-अब भी यदि अमित शाह एक बार उद्भव ठाकरे से मिल लेंगे तो समस्या का हल आसानी से निकल जाता



शिवसेना नेता संजय राउत (फाइल फोटो)।

वह हल निकाल सकता है। राउत का मानना है कि चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले उद्भव ठाकरे से अमित शाह की ही बात हुई थी। इसलिए अब भी यदि शाह एक बार उद्भव ठाकरे के सामने बैठें जाते तो समस्या का समाधान

आसानी से निकल सकता था। जल्द हमारी सरकार बनते देखेंगे : उद्भव ठाकरे : इस बीच बेमौसम बरसात से बेहाल किसानों का हाल जानने औरंगाबाद गए शिवसेना अध्यक्ष उद्भव ठाकरे ने मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आप जल्दी ही शिवसेना की सरकार बनते हुए देखेंगे। संजय राउत से सरकार बनाने लायक विधायकों के समर्थन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें कल तक 170 विधायकों का समर्थन हासिल था। यह संख्या अब बढ़कर 170 से भी दो-तीन ज्यादा हो गई है। उनके अनुसार यह 175 तक भी पहुंच सकता है। राउत ने केंद्र में दो मंजीपद व दो राज्यपाल जैसी किसी मांग के फार्मूले से साफ इंकार करते हुए कहा कि शिवसेना बाजार में नहीं बैठी है। मुख्यमंत्री पद पर ही चर्चा होगी। अगर नहीं होती तो शिवसेना अपनी ताकत पर अपना मुख्यमंत्री बनाना-बनाकर दिखाएंगी। राकोंपा के नेता अजीत पवार बोले, हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है पेज>>4

तीस हजारी हिंसा : विशेष आयुक्त समेत दो अफसरों का तबादला करने का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को हुए बवाल का हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। रविवार को अवकाश होने के बावजूद मुख्य न्यायाध्याय डीएन पटेल और न्यायाध्याय सी हरिशंकर की पीठ ने पुलिस और वकीलों का पक्ष सुना। पीठ ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसपी गर्ग की अध्यक्षता में मामले की न्यायिक जांच के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को आदेश दिए कि जांच पूरी होने तक विशेष आयुक्त (कानून-व्यवस्था, उल्टरी) संजय सिंह और अतिरिक्त आयुक्त (उल्टरी) हरेंद्र कुमार सिंह का तबादला किया जाए। पीठ ने कहा, सीबीआई, आईबी, विजिलेंस डायरेक्टर द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी जांच में गर्ग की मदद करेंगे। छह सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसके बाद ही अगली सुनवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल (बीसीआई) के मुताबिक

हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, न्यायिक जांच के आदेश के साथ छह हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

रविवार को पहले मुख्य न्यायाध्याय डीएन पटेल ने वरिष्ठ न्यायाधीशों, दिल्ली पुलिस के अफसरों और दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ बैठक की। इसके बाद पीठ ने केंद्र-दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, बार कार्डिसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली बार कार्डिसिल, दिल्ली के मुख्य सचिव आदि को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए 3 बजे का समय दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं की सभी एसोसिएशन और दिल्ली पुलिस से अपना-अपना पक्ष रखा। इसके बाद पीठ ने न्यायिक जांच के अलावा घायल वकीलों का एम्स में इलाज कराने के आदेश दिए। वहीं दिल्ली सरकार को घायल विजय कर्ते को 50 हजार, रंजीत मलिक को 25 और पंकज दुबे को 10 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस को अधिवक्ताओं पर तत्काल कार्रवाई न करने को कहा।